


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
कार्यालय आदेश



राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	दयाराम एसीबीईओ-1A (प्रधानाचार्य-उमावि समकक्ष) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटपुतली, जयपुर।	मार्च 2020 आस्थगित वेतन	राउमावि वाटेरा, पिण्डवाडा, सिरौही
2	सुरेश चन्द यादव प्रधानाचार्य राउमावि जयसिंहपुरा, कोटपुतली, जयपुर।	फरवरी 2021	राउमावि घरट, पिण्डवाडा, सिरौही
3	स्वाती भटनागर प्रधानाचार्य राउमावि भापुरा, सांगानेर, जयपुर	अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020	राउमावि गुलर, परबतसर, नागौर
		फरवरी 2020 तथा जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020	राबाउमावि सिकन्दरा, दौसा

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 29.07.2021

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा ।
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)



कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश



विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ/वेतन व्यवस्था/2021 दिनांक 23.07.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी वेतन आहरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वेतन अवधि	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्रीमती माया बैरवा, प्रधानाचार्य, राउमावि फलौदी, खण्डार, सवाईमाधोपुर।	मार्च 2021 से जून 2021	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 23.07.2021 में क.सं 12 पर अंकित कार्मिक के संबंध में वेतन आहरित करने का स्थान राउमावि फलौदी, खण्डार, जोधपुर के स्थान पर राउमावि फलौदी, खण्डार, सवाईमाधोपुर पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/वेतन व्यवस्था/2021

दिनांक 23/07/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान
- 7 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक-कार्मिक